

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-०८/२०२२- 2157 /वि०स०।

प्रेषक,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक- 07/12/22

विषय:- पंचम झारखण्ड विधान सभा के दशम (शीतकालीन) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य०का०सू०-०८/२०२२- 2156 /वि०स०, राँची, दिनांक- 07 दिसम्बर, 2022 के क्रम में निदेशानुसार मैं, पंचम झारखण्ड विधान-सभा के दशम (शीतकालीन) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र की तिथि-19 दिसम्बर, 2022 से 23 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं:-

02. दिनांक:-19 दिसम्बर, 2022 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) एवं विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो), तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

-: वित्तीय कार्य :-

03. वित्तीय वर्ष-2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन-दिनांक-20 दिसम्बर, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं दिनांक-21 दिसम्बर, 2022 को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-173 एवं 268 (1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्तावों की सूचना नियम-168 के तहत शिथिल करते हुए दिनांक-20 दिसम्बर, 2022 को 04:00 बजे अपराह्न तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

-: विधायी कार्य :-

04. दिनांक:-22 दिसम्बर, और 23 दिसम्बर, 2022 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

कृ०पृ०३०

--: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

05. संलग्न कार्यक्रम को देखाने से यह स्पष्ट है कि दिनांक- 23 दिसम्बर, 2022 को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के प्रथम परन्तुक के तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना दिनांक- 12 दिसम्बर, 2022 को 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ, जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

06. शलाका- गैर-सरकारी संकल्पों के क्रम निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में शलाका किया जायेगा, जिसके लिए तिथि -16 दिसम्बर, 2022 को 04.00 बजे अप0 में समय निर्धारित की गयी है।

07. (क) प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चक्रानुवर्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।


(ख) अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

08. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्य के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है, जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे।

09. यदि कार्यवश तिथि-23 दिसम्बर, 2022 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सभावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।


विश्वासभाजन



(सैयद जावेद हैदर) 7-12-2022

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


07.12.22

भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 (सोमवार)	1.	शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
	2.	विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
	3.	शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (मंगलवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 (बुधवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 (गुरुवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों)।
दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 (शुक्रवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों)।
	3.	गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)